



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की ओरः
श्रमिकों के लिए खंडित दृष्टिकोण से आगे
बढ़ना

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की ओर: श्रमिकों के लिए खंडित दृष्टिकोण से आगे बढ़ना संदर्भ


- भारत के सामाजिक सुरक्षा ढाँचे को लंबे समय से इसके खंडित दृष्टिकोण के लिए आलोचना की गई है, विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने में। यह एक व्यापक और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

सामाजिक सुरक्षा के बारे में

- यह देश की विविध जनसंख्या को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आर्थिक और सामाजिक नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
- यह मुख्य रूप से सरकारी पहलों, नियोक्ता-आधारित लाभों, और सामाजिक बीमा कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- सामाजिक सुरक्षा को एक मान्यता प्राप्त मानव अधिकार माना जाता है, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
- SDGs का लक्ष्य 1 2030 तक गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से सुभेद्य समूहों को कवर सुनिश्चित करना शामिल है।

वैश्विक दृष्टिकोण और सतत विकास

- भारत की सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आकांक्षा ILO की सामाजिक सुरक्षा फ्लोर अनुशंसा के साथ गूंजती है, जो निम्नलिखित का आह्वान करती है:
 - बुनियादी आय सुरक्षा;
 - आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच;
 - असंगठित अर्थव्यवस्था तक विस्तार;
- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 22: यह सामाजिक सुरक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में जोर देता है। भारत के प्रयास महत्वपूर्ण हैं, हालाँकि अभी भी ब्राजील (बोल्सा फेमिलिया) या दक्षिण अफ्रीका (सामाजिक पेंशन) जैसे देशों में मॉडल की तुलना में विकसित हो रहे हैं।



सामाजिक सुरक्षा में मौजूदा चुनौतियाँ

- खंडित ढाँचा:** भारत में सामाजिक सुरक्षा अक्सर औपचारिक रोजगार से जुड़ी होती है, जिससे असंगठित श्रमिकों को बाहर कर दिया जाता है या हानि होती है।
- कल्याण बोर्डों की अक्षमता:** जो लाभ वितरण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, वे महत्वपूर्ण अक्षमताओं और निधियों के अपर्याप्त उपयोग का सामना कर रहे हैं।
- गीग श्रमिक और उभरती श्रेणियाँ:** गीग श्रमिकों की वृद्धि ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य कवरेज और लेन-देन आधारित पेंशन नीतियों जैसी नई योजनाओं को प्रेरित किया है।
 - हालाँकि, ये उपाय प्रतिक्रियात्मक बने हुए हैं, केवल नई श्रमिक श्रेणियों के उभरने पर ही चुनौतियों को संबोधित करते हैं।

- कार्यान्वयन में कमी:** रिपोर्टों में रेमिटेंस भुगतान में देरी और ₹70,744.16 करोड़ जैसी कल्याण निधियों के कम उपयोग का प्रकटीकरण हुआ है जो निर्माण श्रमिकों के लिए एकत्र की गई थीं।
- अंतर्गतकरण का कम आकलन:** ILO रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा और आवास जैसे वस्तुतः लाभ या राज्य-प्रशासित योजनाओं का हिसाब नहीं लेती है।
 - वास्तविक कवरेज इन कारकों को शामिल करने पर उच्च होने की संभावना है।
- असंगठित क्षेत्र में कम कवरेज:** भारत की श्रम शक्ति का 90% से अधिक असंगठित क्षेत्र में है, फिर भी केवल एक छोटा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित होता है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- खंडित दृष्टिकोण:** विभिन्न विभागों द्वारा प्रबंधित कई कल्याण योजनाएँ।
- पहचान:** एकल एकीकृत श्रमिक रजिस्ट्री की कमी (eShram मदद करता है लेकिन अधूरा है)।
- वित्तीय अंतर:** पूर्ण पैमाने पर सार्वभौमिक कवरेज के लिए सीमित वित्तीय आवंटन।
- पोर्टेबिलिटी:** प्रवासी श्रमिकों को राज्यों के बीच पोर्टेबिलिटी की कमी।
- जागरूकता:** कई श्रमिक अपने अधिकारों के बारे में अनजान हैं।

भारत का सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा दृष्टिकोण

- इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (कार्यबल का लगभग 90%), प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था श्रमिकों (जैसे, स्विगी, उबर), महिला श्रमिकों और पेंशन रहित वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने पर बल दिया गया है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

- यह एक व्यापक योजना के रूप में नौ केंद्रीय श्रम कानूनों को एकीकृत कानून में समाहित करता है।
- यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का आदेश देता है, जो गिग श्रमिकों और स्वरोजगार करने वालों सहित विभिन्न वर्गों के श्रमिकों के लिए उपयुक्त योजनाओं की सिफारिश करेगा।
- इसमें व्यापक दायरे को शामिल किया गया है: भविष्य निधि; कर्मचारी राज्य बीमा; ग्रेच्युटी; मातृत्व लाभ; गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा; और असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याण।

Legal Framework

- Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952;
- Employees' State Insurance Act, 1948;
- Maternity Benefit Act, 1961;
- Unorganized Workers' Social Security Act, 2008;

छत्र के नीचे योजनाएँ

योजना	लक्ष्य समूह	लाभ
PM-SYM(प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन)	असंगठित श्रमिक	60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000/ माह पेंशन
ई-श्रम पोर्टल	सभी अनौपचारिक श्रमिक	कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच के लिए UAN से जुड़ा केंद्रीय डाटाबेस
अटल पेंशन योजना	सभी नागरिक (मुख्यतः असंगठित)	परिभाषित पेंशन योजना
ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा)	औपचारिक कर्मचारी; अब गगि कर्मचारियों के लाए भी लागू	स्वास्थ्य, मातृत्व, वकिलांगता लाभ

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता

- **सक्रिय दृष्टिकोण:** अनौपचारिक कार्य की अनिश्चित प्रकृति को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए भारत को अपने सामाजिक सुरक्षा ढाँचे की फिर से कल्पना करनी चाहिए।
 - एक सार्वभौमिक प्रणाली सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, चाहे उनका रोजगार प्रकार या क्षेत्र कुछ भी हो।
- **लक्षित राहत का एकीकरण:** विशिष्ट श्रमिक श्रेणियों के लिए लक्षित समर्थन के साथ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का संयोजन समावेशित सुनिश्चित करते हुए अद्वितीय चुनौतियों का समाधान कर सकता है।
- **वैश्विक मानकों के साथ संरेखण:** ILO के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत को बुनियादी सामाजिक सुरक्षा सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) सम्मेलन, 1952 की पुष्टि करनी चाहिए।
- **सामाजिक सुरक्षा में हालिया विस्तार**
- **गिरा और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लाभ प्रदान करना:** ई-श्रम और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा छत्र के तहत।
- **डिजिटल और वित्तीय समावेशन:** जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी ने कल्याणकारी लाभों के वितरण को मजबूत किया है, लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) सुनिश्चित किया है, लीकेज को कम किया है और पारदर्शिता में सुधार किया है।
- **‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ (ONORC) के तहत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी:** यह प्रवासी श्रमिकों को भारत में कहीं भी सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुँचने में सक्षम बनाता है।
- **अनौपचारिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा और बीमा को मजबूत करना:** सरकार अनौपचारिक श्रमिकों को स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल करने, PM-JAY और ESIC सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने पर बल दे रही है।

निष्कर्ष

- सामाजिक सुरक्षा के लिए टुकड़ों में किए जाने वाले उपायों पर निर्भर रहने से कमजोर श्रमिकों के पीछे छूट जाने और अनौपचारिक कार्य की विभिन्न श्रेणियों के बीच असमानता पैदा होने का जोखिम है।
- एक सार्वभौमिक और समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को अपनाकर, भारत सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए अपने कार्यबल की गरिमा और कल्याण सुनिश्चित कर सकता है।

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत सभी श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक और समावेशी सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए खंडित सामाजिक सुरक्षा उपायों से आगे कैसे बढ़ सकता है, जिससे वित्तीय स्थिरता एवं सम्मान सुनिश्चित हो सके?

